मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 (चैत्र 2, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री रबि राय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष
(2) श्री पी. शिवशंकर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(3) श्री गुरुचरण सिंह, पूर्व विधान सभा सदस्य, तथा
(4) डॉ. धर्मवीर, पूर्व विधान सभा सदस्य.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शोकोद्गार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.12 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर मध्याह्न 11.18 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 158 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कें जीर्ण-शीर्ण होने,
(2) श्री मुकेश नायक, सदस्य की पन्ना जिले में बिजली कटौती की जाने,
(3) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की मुरैना जिले की जौरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट होने,
(4) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के मोहगांव में पेयजल व्यवस्था में गड़बड़ी होने,
(5) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले की मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ग्रामों में विद्युत कटौती से समस्या उत्पन्न होने,
(6) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती में गड़बड़ी की जांच करने,
(7) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के ग्राम झामर में नर्मदा किनारे से शराब दुकान हटाने,
(8) श्री मधु भगत, सदस्य की निजी क्षेत्र में कार्यरत पेंशनधारी श्रमिकों को पेंशन प्रदाय करने,
(9) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया से सेवढा सड़क का निर्माण करने तथा
(10) श्री चन्दर सिंह सिसोदिया, सदस्य की गरोठ विधानसभा क्षेत्र में मानपुर नगर परियोजना से प्रभावित कृषकों को भूमि का मुआवजा देने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. संपत्ति का विवरण पटल पर रखा जाना

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री द्वारा स्वयं एवं पत्नि का चल-अचल संपत्ति विवरण पटल पर रखा.

5. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था
मंत्री द्वारा संपत्ति विवरण पटल पर रखने विषयक

श्री सुन्दरलाल तिवारी ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि कृषि मंत्री द्वारा संपत्ति विवरण विधान सभा के अंदर किस नियम कानून के तहत रखा है ? अगर अदालत में इनका कोई मामला लंबित है तो इन्हें अदालत में ही संपत्ति विवरण रखना चाहिए. श्री जितू पटवारी, सदस्य ने यह कथन किया कि कृषि मंत्री के अलावा सब मंत्री सम्पत्ति विवरण क्यों नहीं रख रहे है और ऐसा क्या हुआ है कि इनको अपना संपत्ति विवरण अचानक रखना पड़ा है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज श्री सुंदरलाल तिवारी जी ने यह विषय उठाया है कि माननीय मंत्री को संपत्ति विवरण हेतु क्यों अनुमति दी और उन्होंने कैसे पढ़ दिया ? संसदीय प्रणाली में शुचिता के लिये यहस्थापित परम्परा है और पूर्व में भी 1995 में तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी इस आसंदी पर थे, तब भी मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा संपत्ति विवरण पटल पर रखे गये थे. इसी तरह वर्ष 2008 एवं 2012 में भी संपत्ति विवरण पटल पर रखे गये. साथ ही, विधानसभा प्रक्रिया में सदस्यों के पालनीय नियम क्रमांक के अंतर्गत भी कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक विवरण दे सकता है.

6. शासकीय वक्तव्य

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि कल हमारे दल के साथियों ने एक पुस्तक की आपत्तिजनक बाते सदन के समक्ष रखी थीं उस पर आज मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाये और उसके बाद आगे की कार्यवाही प्रारम्भ हो. अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कल नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यगण ने जो एक गंभीर विषय उठाया था और शासन की ओर से अनुरोध किया गया था कि वो वक्तव्य देने के लिए तैयार है. मैं नेता प्रतिपक्ष की बातों से सहमत हूं और उच्च शिक्षा मंत्री को निर्देशित करता हूं कि वे इस विषय पर वक्तव्य दें.

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने "भारत का भूगोल" नामक पुस्तक पर शासन का वक्तव्य दिया.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने प्रति क्रिया व्यक्त की.

7. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

सर्वश्री ओमकार सिंह मरकाम, तरूण भनोत, निशंक कुमार जैन, श्री उमंग सिंघार, सदस्यगण उच्च शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के विरोध में गर्भगृह में आये एवं आसंदी की समझाइश पर वापस अपने आसन पर गए.

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 पटल पर रखे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने आयुक्त, नि:शक्तजन, भोपाल, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

9. अध्यक्षीय घोषणा
श्रीमद् राजचन्द्र मिशन, धरमपुर द्वारा नाटक "युग पुरूष" का आयोजन करने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को यह भी सूचित किया कि आज गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 को अपराह्न 7.00 बजे विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों के लिए श्रीमद् राजचन्द्र मिशन, धरमपुर द्वारा संस्कृति विभाग के सौजन्य से नाटक "युग पुरूष" का आयोजन किया गया है. उक्त कार्यक्रम में माननीय सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है.

10. ध्यानाकर्षण

(1) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य ने छतरपुर जिले के मातगुंआ थाना प्रभारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री कमलेश्वर पटेल, रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक जिलों में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

11. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

सर्वश्री कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव, शैलेन्द्र पटेल, यादवेन्द्र सिंह, सदस्यगण द्वारा प्रदेश में बिजली कटौती की बात कहते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने शासन द्वारा सही जानकारी नहीं देने के विरोध में उनके नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया.

12. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – 26	श्री के.पी. सिंह	1 घण्टा
2.	क्रमांक – 11, 28, 32, 44, 50, 51	सर्वश्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, निशंक कुमार जैन, सुदेश राय, यशपाल सिंह सिसौदिया, जितेन्द्र गेहलोत, डॉ. कैलाश जाटव	30 मिनट

श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां एवं इक्यावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ तेईसवां से एक सौ चवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(2) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(3) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(4) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-आगर)
(5) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(6) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(7) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(8) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)

(9) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(10) श्रीमती प्रमिला सिंह (जिला-शहडोल)
(11) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(12) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(15) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(16) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(17) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(18) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(19) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(20) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(21) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(22) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(23) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(24) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(25) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(26) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(27) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(28) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(29) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(30) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(31) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(32) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)

14. शासकीय वक्तव्य

(1) श्री सूर्यप्रकाश मीना, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने दिनांक 22 फरवरी, 2017 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 120 (क्रमांक 1175) तथा दिनांक 9 मार्च, 2017 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 181 (क्रमांक 5612) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा सेना के शहीद सैनिकों के माता/पिता को प्रतिमाह रुपए 5000/- की पेंशन दिये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की.

15. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

17. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:)

(21) श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह, परिवहन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 3	पुलिस के लिए छह हजार एक सौ चौरासी करोड़, पचपन लाख, चौदह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए तिरपन करोड़, बानवे लाख, पांच हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 36	परिवहन के लिए एक सौ तीस करोड़, सात लाख, सतासी हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(4) श्री वैलसिंह भूरिया
(5) कुंवर विक्रम सिंह
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता
(7) श्रीमती शीला त्यागी
(8) श्री दिनेश राय
(9) श्री पन्नालाल शाक्य
(10) श्री हरदीप सिंह डंग
(11) कुंवर हजारीलाल दांगी
(12) डॉ. रामकिशोर दोगने
(13) श्री नथन शाह कवरेती
(14) श्री कमलेश्वर पटेल
(15) श्री सतीश मालवीय
(16) श्री सुखेन्द्र सिंह
(17) श्री जितू पटवारी
(18) श्रीमती ऊषा चौधरी
(19) श्री यादवेन्द्र सिंह
(20) श्री घनश्याम पिरोनियाँ

श्री भूपेन्द्र सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(22) श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं सड़सठ लाख, सत्रह हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए एक हजार छह सौ बानवे करोड़, अड़तालीस लाख, नवासी हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

श्री दीपक कैलाश जोशी ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(23) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण के लिए चार हजार पैंसठ करोड़, नवासी लाख, उनहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक हजार तीन सौ सत्ताइस करोड़, अड़तीस लाख, अस्सी हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम

18. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 (2) के अनुसार, अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु नियत दिनों के अंतिम दिन आज सायं 4.30 बजे अथवा किसी ऐसे समय पर, जो कि अध्यक्ष पहले से निश्चित कर दें, अनुदानों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रश्न रखा जाना है, परन्तु विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा की स्थिति एवं कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयानुसार आज सभा की बैठक सायं 5.30 बजे के पश्चात् भी मांगों पर कार्यवाही पूर्ण करने के लिए जारी रहेगी तथा माननीय सदस्यों के अनुरोध अनुसार, कार्यसूची में शामिल सभी विभागों की मांगों पर चर्चा भी कराई जानी है. अत: इस नियम को शिथिल कर कार्यसूची में शामिल अनुदान की सभी मांगों पर मतदान संबंधी कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करके, मांगों पर चर्चा समाप्त होने के तत्काल बाद विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया जायेगा.

19. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:)

(4) डॉ. कैलाश जाटव
(5) श्रीमती शीला त्यागी
(5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(6) श्री घनश्याम पिरोनियां

श्री लालसिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(24) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति, पर्यटन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 26 संस्कृति के लिए दो सौ उन्नीस करोड़, बयालीस लाख, अठहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 37 पर्यटन दो सौ छप्पन करोड़, सोलह लाख, अड़सठ हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) सुश्री हिना लिखीराम कावरे

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(2) श्री के.के. श्रीवास्तव

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री गिरीश भंडारी
(4) श्री दिलीप सिंह शेखावत

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री सुरेन्द्र पटवा ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(25) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पंचायत और ग्रामीण विकास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 17	सहकारिता के लिए एक हजार छह सौ छह करोड़, नौ लाख, चौबीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए एक सौ बारह करोड़, उनसठ लाख, तिहत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री बहादुर सिंह चौहान
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री विश्वास सारंग ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

20. अध्यक्षीय घोषणा

वर्ष 2017-18 की शेष अनुदानों की मांगों को बिना चर्चा स्वीकृत (आंशिक मुखबंध) किए जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि जैसा कि सायं 4.30 बजे आसंदी से घोषणा की गई थी कि विधान सभा प्रक्रिया के नियम 153 (2) के अनुसार आज कार्यसूची में उल्लेखित सभी विभागीय मांगों पर चर्चा एवं मतदान पूर्ण कर विनियोग विधेयक पुर:स्थापित किया जाना है.

परन्तु आज लगभग सवा सात बजे तक चर्चा के उपरांत अभी भी 4 मंत्रीगण की मांगों पर चर्चा शेष है. विभागीय मांगों पर सामान्य चर्चा तदुपरान्त दिनाँक 7.3.17 से विभागवार चर्चा विस्तार से सदन में हो चुकी है. साथ ही कार्यमंत्रणा समिति द्वारा नियत समय से काफी अधिक समयावधि व्यतीत होने के बाद भी चर्चा शेष है. तथा माननीय सदस्यों हेतु अन्य कार्यक्रम भी है. अतः शेष मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा. इस संबंध में मतदान हेतु शेष विभागों की अनुदान मांगें माननीय वित्त मंत्री जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.

(26) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 63	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पच्चीस करोड़, उन्नीस लाख, चौरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए नौ सौ अठावन करोड़, तिरानवे लाख, सतासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए पैंतालीस करोड़, चौबीस लाख, तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 38	आयुष के लिए चार सौ बत्तीस करोड़, एक लाख, निन्यानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा के लिए एक हजार छह सौ बीस करोड़, अठहत्तर लाख, सत्रह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए सात सौ छिहत्तर करोड़, छब्बीस लाख, उनचास हजार, तथा
अनुदान संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए सात सौ बत्तीस करोड़, पन्द्रह लाख, छियासठ हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

21. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पुर:स्थापित किया.

अपराह्न 7.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 (3 चैत्र, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 23 मार्च, 2017